न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 162/2018 (2018/00196)

कनकप्रभा पत्नि श्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री राजेश शर्मा –प्रार्थीयां

तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 03.03.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम देवगॉव की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत 2073–76 मे स्थित है:–

खेवट खतौनी संख्या	ख.नं.	रकबा (हैक्टर म)	किस्म
93–88	729	0.4000	पेटा तालाब 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीयॉ के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीयॉ फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करती चली आ रही है। जिसमे दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्वा व वास्ता सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात मे । उक्त आराजीयात की सीमा स्पष्ट नहीं होने से कभी कभी छोटा मोटा विवाद होने की संभावना होती रहती है। जिससे कभी गंभीर विवाद हो सकता है। जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का नाप करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाना चाहती है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण सर्वप्रथम दिनांक 26.05.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीयां ने तहसीलदार महोदय केकड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने न्यायालय से आदेश लाने की बात कह कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान नहीं किया तब से उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्र मे होने से बात सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब मे पैरोकार सरकार ने ग्राम देवगॉव का आराजी खसरा नंबर 729 रकबा 0.40 है0 जमाबंदी के खाता संख्या 105 मे कनकप्रभा पत्नि नरपतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 729 रकबा 0.40 है0 पर जॉच मे पाया गया कि मौके पर नटवर पि0 सावंलसिंह का कब्जा काश्त है। इसी खसरा नंबर के नजदीक स्वयं की खातेदारी के खेत मे मिला रखा हैं खसरा नंबर पर खातेदार का कब्जा नहीं होने व मौके पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विवाद के मध्य नजर प्रार्थीयॉ ने पत्थरगढ़ी हेतु दावा किया है जो कि उचित है। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्रस्तुत होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के लायक अभिभाषक श्री राजेश शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि खसरा नंबर 729 रकबा 0.40 है0 पर जांच मे नटवर पि0 सावंलसिंह का कब्जा काश्त है खसरा नंबर के नजदीक स्वयं की खातेदारी के खेत मे मिला रखा है। खसरा नंबर पर खातेदार का कब्जा नहीं होने व मौके पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विवाद के मध्यनजर प्रार्थीयां ने पत्थरगढ़ी हेतु दावा किया है ,जो उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 162/2018(2018/00196)
कनकप्रभा बनाम राजस्थान सरकार
अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट
दिनांक 03.03.2021

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम देवगॉव का खसरा नंबर 729 रकबा 0.40 है0 पर जॉच मे नटवर पि0 सांवलसिंह का कब्जा काश्त है इसी खसरा नंबर के नजदीक स्वयं की खातेदारी के खेत मे मिला रखा है। खसरा नंबर पर खातेदार का कब्जा नहीं होने व मौके पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विवाद के मध्यनजर प्रार्थीयां ने पत्थरगढ़ी हेतु दावा किया है ,जो उचित है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयां पत्थरगढ़ी शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार मे जमा करावे। तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थर शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी मे, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे,खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner